

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, कैपिटल काम्पलेक्स,
नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 4417 / एफ-1-105 / 31 / एस-2 / 2018,
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 20/07/2018

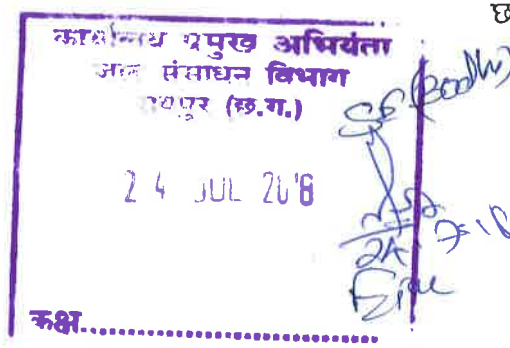
मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- गरियाबंद जिले के विकासखण्ड-छुरा की पनका नाला व्यपवर्तन योजना का नहर लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र.-320/बो.प्र./प्रशा.स्वी./2018/10401, रायपुर, दि. 15.06.2018.

राज्य शासन एतद् द्वारा गरियाबंद जिले के विकासखण्ड-छुरा की पनका नाला व्यपवर्तन योजना का नहर लाईनिंग कार्य हेतु लागत राशि रु. 299.48 लाख (रूपये दो करोड़ निन्यानवे लाख अड़तालीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. लाईनिंग उपरांत योजना की रूपांकित सिंचाई 200 हेक्टेयर क्षेत्र में हो रही 90.00 हेक्टेयर क्षेत्र में कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ विस्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय विस्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, लेखा शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}-सतही जल (3828)-लघु सिंचाई योजना, #97-निर्माण कार्य, 003-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 11.07.2018 द्वारा सहमति प्राप्त है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(याकुब खैर)
संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

181

पृ.क्रमांक 4418/एफ-1-105/31/एस-2/2018,

नया रायपुर, दिनांक 20/07/2018

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
3. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर ।
4. प्रमुख सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर ।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर ।
8. कलेक्टर, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) ।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर ।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन रायपुर ।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 नया रायपुर ।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.) ।
13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू-जल सर्वेक्षण मंडल, रायपुर ।
14. प्रभारी बजट शाखा, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, नया रायपुर ।
15. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
16. आदेश पंजी ।

संयुक्त सचिव

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, नया रायपुर

1817